(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3059–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 565/अपील/2008–09.

1– रेहान खॉ वल्द रशीद खॉ
2– सोहेल खॉ वल्द रशीद खॉ
निवासीगण नगर सुल्तानपुर
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, रायसेन
2– सदर–मस्जिद कमेटी बस स्टेंड सुल्तानपुर
3– अब्दुल बाकी वल्द मजीद खॉ
4– श्रीमती नजमा बी पत्नी अब्दुल बाकी
निवासीगण नगर सुल्तानपुर
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अन्सार उलहक, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा नायब तहसीलदार, सुल्तानपुर तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 3 द्वारा मस्जिद की भूमि पर अतिकमण कर रास्ते को तंग कर दिया गया है, अतः अतिकमण हटाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–7–09 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 3 पर

500/– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखल करने के आदेश दिये गये । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–8–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–5–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम सीमा में होने से संहिता की धारा 248 लागू नहीं होती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में केवल छज्जे का विवाद है, जिसके निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । यह भी कहा गया कि यह प्रकरण में वास्तव में सुखभोग का है, जिसके निराकरण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद की स्वयं शासकीय भूमि पर अतिकमण है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण एवं मजिस्जद कमेटी के मध्य समझौता हुआ था, जिसका पालन आवेदकगण द्वारा नहीं किया जा रहा है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अपनी मकान से 8 फीट छज्जा बाहर निकाल लिया गया है, जो कि स्पष्टतः शासकीय भूमि पर अतिकमण है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नगर पालिका सीमा में स्थित भूमि पर भी संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू होंगे । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2011 (3) एम.पी.एल.जे. 575 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ शेष अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा मस्जिद की भूमि पर अवैध अतिकमण किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण एवं मस्जिद कमेटी के मध्य पूर्व में समझौता हुआ था, जिसका पालन भी आवेदकगण द्वारा नहीं किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का अतिकमण हटाये जाने सम्बंधी पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है । इस सम्बन्ध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम सीमा में होने से संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि 2011 (3) एम.पी.एल.जे. 575 राशिद खान पुत्र याशिन खान मुसलमान विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि नगर निगम सीमा की भूमि के सम्बन्ध में संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू होते हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर